राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

प्रेषक:

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
जयपुर।

प्रेषितिः

1. प्रमुख शासन सचिव, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांकः एफ.1(55)आरबी/2015/2245 दिनांक 9 मार्च, 2017

विषयः— यूजीसी रेग्युलेशन 2010 के संशोधनों को लागू करने के संबंध में।

संदर्भः— संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का प्राप्त पत्र क्रमांक न.1(6)शिक्षा–4/2010 पार्ट–1 दिनांक 02.02.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन (UGC Regulations on Minimum Qualifications for Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of the Standards of Higher Education) 2010 एवं इसके संशोधन 2013 व 2016 के अनुसार अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश आदि में परिवर्तन कर लागू करने संबंधी कार्यवाही करावें। साथ ही कुलपति पद पर चयन हेतु भी यूजीसी रेग्यूलेशन 2010 के प्रावधानों को लागू करने संबंधी कार्यवाही करावें।

कृपया की गई कार्यवाही से इस सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का श्रम करावें, ताकि तद्नुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जा सके।

भवदीया,

(कीर्ति शर्मा)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा